

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)


क्रमांक:-राजस्व/17-18/

दिनांक:-

प्रेस - सूचना

६,

निगम द्वारा आज दिनांक 29.01.2018 को नगरीय विकास कर की वसूली करने गई टीम द्वारा नेहरू बाजार स्थित 73-ए व 73-बी की बकाया कुल 1,71,517 लाख की बकाया के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही करते हुये बकाये दार श्री विनोद व पुष्कर लाल के ऑयल के गोदाम को सीज किया गया। कार्यवाही में निगम द्वारा बकायादार को पूर्व में राशि जमा करवाने हेतु सूचना व चेतावनी दी गई थी। निगम द्वारा समस्त बकायादार जिन्होंने निगम में नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाया है को सूचित किया जाता है कि अविलम्ब नगरीय विकास कर जमा करावे अन्यथा निगम द्वारा की जाने वाले कुर्की की सख्त कार्यवाही की समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा ब्याज व पेनाल्टी पर 100 प्रतिशत छुट दी जा रही है। इस कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक, पटवारी व अन्य स्टाफ मौजूद थे।



सिद्धार्थ सिहाग (I.A.S.)
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर